न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

प्रकरण संख्या :– 06/2025 **(जीसीएमएस नम्बर–2025/47)**

उनवानी प्रकरण :–

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ———————————— सायल।

बनाम्

श्री शब्बीर खॉ पुत्र श्री अलीम खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी कालीमाई मन्दिर के सामने धौलपुर थाना निहालगंज जिला धौलपुर ———————————— गैरसायल।

इस्तगासा अंतर्गत धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–

1– सायल की ओर से :– सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

2– गैरसायल की ओर से :– श्री हरीशंकर मुदगल अभिभाषक धौलपुर।

निर्णय दिनांक 07.04.2026

निर्णय

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना निहालगंज, धौलपुर से प्राप्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्व गैरसायल श्री शब्बीर खॉ पुत्र श्री अलीम खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी कालीमाई मन्दिर के सामने धौलपुर थाना निहालगंज जिला धौलपुर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल आदतन सट्टा/जुआ खेलने का आदी है तथा रूपयो पैसो का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता कई बार पकड़ा है एवं अन्य लोगो को इसे खेलने के लिए प्रेरित करता है। उक्त अपराध एक सेवा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग का को खोखला कर दिया है। गैरसायल को बार–बार जुआ खेलते हुए गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्व चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है बल्कि बिना कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिससे एक ओर जहॉ वह स्वयं को इलाका का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है। वही अपने लाभ के लिए युवा पीढी को इस अपराध में धकेल रहा है जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्व ना तो साक्ष्य देना चाहता है, ना ही उसके भय के कारण स्वतन्त्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

निहालगंज, धौलपुर पर दर्ज अपराधों का विवरण इस प्रकार है:–मु0न0 280/2007 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 08.10.2007 जिसमें चार्जशीट नम्बर 175 दिनांक 18.10.2007 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2011 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 318/2008 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.09.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 226 दिनांक 29.09.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2008 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 120/2009 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 15.03.2009 जिसमें चार्जशीट नम्बर 52 दिनांक 26.03.2009 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2011 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 142/2009 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 27.03.2009 जिसमें चार्जशीट नम्बर 67 दिनांक 28.03.2009 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2009 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 01/2010 धारा 323, 341, 379 आईपीसी 3–1(10) एससी/एसटी एक्ट दिनांक 01.01.2010 जिसमें चार्जशीट नम्बर 07 दिनांक 09.02.2010 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2014 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 179/2010 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 20.04.2010 जिसमें चार्जशीट नम्बर 89 दिनांक 27.04.2010 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2011 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 31/2019 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 24.01.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 06 दिनांक 31.01.2019 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 119/2019 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 04.04.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 71 दिनांक 31.05.2019 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2019 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 368/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 10.10.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 145 दिनांक 17.10.2020 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 109/2024 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 22.03.2024 जिसमें चार्जशीट नम्बर 28 दिनांक 30.03.2024 को पेश न्यायालय की गई जो न्यायालय में जैर ट्रायल है। मु0न0 29/2025 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 01.02.2025 जिसमें चार्जशीट नम्बर 03 दिनांक 06.02.2025 को पेश न्यायालय की गई जो न्यायालय में जैर ट्रायल है। गैरसायल श्री शब्बीर खॉ पुत्र श्री अलीम खॉ के विरूद्व दर्ज प्रकरणों व गैरसायल की गतिविधियों से आम जनता में उत्पन्न भय, सन्त्रास व उनका जीवन खतरे में पडा हुआ है। उक्त प्रकरणों में उसकी अपराधिक गतिविधियों के आधार पर उक्त गैरसायल गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(5)(8) की तारीफ में आता है, जिसे गुण्डा घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त आधारों पर गैरसायल श्री शब्बीर खॉ पुत्र श्री अलीम खॉ के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के तहत् मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस इस आशय का जारी किया गया, कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो, तो वह इस न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताये।

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

गैरसायल की ओर से श्री हरीशंकर मुदगल अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया। गैरसालय/गैरसायल के अभिभाषक द्वारा बार-बार जबाव हेतु समय चाहा गया। कई बार मौका दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा जबाव पेश नहीं किया गया। अंत में अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव पेश करने से इंकार किया गया तथा नोटिस का जबाब प्रस्तुत नहीं किया।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। सायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैरसायल के विरूद्ध 11 प्रकरण दर्ज है। उक्त सभी प्रकरणों में चालान पेश न्यायालय किए जा चुके है। गैरसायल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। गैरसायल आदतन जुआ खेलना, खिलाने, सट्टेबाजी करने का आदी है जिससे समाज में कुरीति फैलती है, समाज पर इसका कुप्रभाव पडता है। आमजन इससे भयभीत रहने लगा है, जनता में इतना भय व्याप्त है कि इसके घटना करने के बाद आमजन रिपोर्ट नहीं करते हैं, गैरसायल शब्बीर खॉ का स्वछन्द रहना जनता हित में ठीक नही है। गैरसायल का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की परिधि में आता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की जाकर गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपनी मौखिक बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी एक सीधा-सादा व्यक्ति है, और उसने कभी भी शांति भंग नहीं की और ना ही कोई वारदात घटित की है। गैरसायल काफी समय से जयपुर में नौकरी कर रहा है । गैरसायल के द्वारा कभी भी जूआ एवं सट्टे का कोई अवैध कारोबार नहीं किया गया है। गैरसायल को गलत तथ्यों के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नोटिस दिया गया है। गैरसालय के खिलाफ कोई ऐसा गम्भीर अपराध नहीं है जिससे गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपराध बनता हो। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। गैरसायल के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनो के समर्थन में एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नम्बर 14628/2019 निर्णय दिनांक 21.7.2022 की प्रति पेश की।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 यद्यपि लोक व्यवस्था को कायम रखने की दृष्टि से गुण्डों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के लिये विशेष उपबंध बनाने का अधिनियम है, तदापि नागरिकों की सामान्य स्वतंत्रताओं को भी अक्षुण रखना लोक व्यवस्था के लिये आवश्यक है। अधिनियम की धारा 2 में शब्द गुण्डा को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है :-

"(आ) "गुण्डा" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो-

1. स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य अथवा नेता या मुखिया के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) के अध्याय 16, 17 या 22 अथवा भारतीय दण्ड

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

संहिता 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये प्रेरित करता है, अथवा

2. सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वुमन एण्ड गर्ल्स अधिनियम 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 104) के अधीन दोषी ठहराया गया हो, अथवा

3. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

4. अफीम अधिनियम, 1878 (1878 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) या एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

5. राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, अथवा

6. महिलाओं एवं लडकियों पर अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता या उन्हें छेडता हुआ पाया गया हो, अथवा

7. हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने बालों को कष्ट देने का अभ्यासी पाया गया हो, अथवा

8. जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या जो बलपूर्वक चंदे का संग्रह अथवा अपने या दूसरों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों को धमकी देने का अभ्यस्त हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति की चेतावनी, खतरा या नुकसान करने का अभ्यस्त हो।

स्पष्टीकरण :– किसी व्यक्ति के सम्बंध में खण्ड में जहाँ किसी "अभ्यस्त" या "अभ्यासी" शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इससे ऐसे व्यक्ति का अभिप्राय है, जो धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्यवाही के आरम्भ में तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर खण्ड (1), (6), (7) या (8) में वर्णित यथास्थिति, अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में गैरसायल के विरूद्ध निम्न मुकदमों का उल्लेख किया है:– मु0न0 280/2007 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 08.10.2007 जिसमें चार्जशीट नम्बर 175 दिनांक 18.10.2007 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2011 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 318/2008 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 11.09.2008 जिसमें चार्जशीट नम्बर 226 दिनांक 29.09.2008 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2008 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 120/2009 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 15.03.2009 जिसमें चार्जशीट नम्बर 52 दिनांक 26.03.2009 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2011 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 142/2009 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 27.03.2009 जिसमें चार्जशीट नम्बर 67 दिनांक 28.03.2009 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2009 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

किया। मु0न0 01/2010 धारा 323, 341, 379 आईपीसी 3–1(10) एससी/एसटी एक्ट दिनांक 01.01.2010 जिसमें चार्जशीट नम्बर 07 दिनांक 09.02.2010 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2014 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया। मु0न0 179/2010 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 20.04.2010 जिसमें चार्जशीट नम्बर 89 दिनांक 27.04.2010 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2011 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 31/2019 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 24.01.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 06 दिनांक 31.01.2019 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 119/2019 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 04.04.2019 जिसमें चार्जशीट नम्बर 71 दिनांक 31.05.2019 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2019 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 368/2020 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 10.10.2020 जिसमें चार्जशीट नम्बर 145 दिनांक 17.10.2020 को पेश न्यायालय की गई जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 को 100 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। मु0न0 109/2024 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 22.03.2024 जिसमें चार्जशीट नम्बर 28 दिनांक 30.03.2024 को पेश न्यायालय की गई जो न्यायालय में जैर ट्रायल है। मु0न0 29/2025 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 दिनांक 01.02.2025 जिसमें चार्जशीट नम्बर 03 दिनांक 06.02.2025 को पेश न्यायालय की गई जो न्यायालय में जैर ट्रायल है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। गैरसायल अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं, जिसके विरूद्ध धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना उचित होगा क्योंकि धारा 2 (ख) की उपधारा 5 में यह उल्लेख है कि" राजस्थान सार्वजनिक जूआ अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो,

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गैरसालय राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के उद्देश्यों के लिए गुण्डा हैं और उसकी गतिविधियों से धौलपुर जिले के व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है और होने की सम्भावना है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 जिस बुराई को रोकने के लिए यथा लोक व्यवस्था की स्थिति को कायम रखने के लिए गुण्डों पर नियंत्रण करने व उनको दबाने के लिए जो विशेष उपबन्ध करता हैं, वह इस प्रकरण में पूरी तरह साबित हैं और गैरसायल को अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जिला धौलपुर से निष्कासित किया जाना पूर्णतः न्यायोचित और विधिसम्मत है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। गैरसायल श्री शब्बीर खॉ पुत्र श्री अलीम खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी कालीमाई मन्दिर के सामने धौलपुर थाना निहालगंज जिला धौलपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत 15 दिवस के लिये जिला धौलपुर से निष्कासित कर जिला भरतपुर में रहने के आदेश दिये जाते हैं। उपरोक्त अवधि में गैरसायल जिला भरतपुर में रहेगा जहाँ वह शान्ति व्यवस्था कायम रखेगा व कोई आग्नेय–अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखेगा। यदि उसके पास लाईसेन्सी

जिला मजिस्ट्रेट

हथियार है तो उसे अपने नजदीकी थाने में जमा करायेगा। गैरसायल प्रथमतः पुलिस अधीक्षक भरतपुर के यहाँ उपस्थित देगा, जहाँ से पुलिस अधीक्षक भरतपुर के निर्देशानुसार बताये गये थाने में प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक धौलपुर गैरसायल को पुलिस अधीक्षक भरतपुर के यहाँ उपस्थिति हेतु पाबन्द करेगें। इस आदेश की पालना हेतु पुलिस अधीक्षक धौलपुर, पुलिस अधीक्षक भरतपुर के नियंत्रण में गैर सायल श्री शब्बीर खॉ पुत्र श्री अलीम खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी कालीमाई मन्दिर के सामने धौलपुर थाना निहालगंज जिला धौलपुर को सुपुर्द कर पालना सुनिश्चित करायेगें। 15 दिवस पूरे होने पर गैरसायल जब पुनः धौलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेगा तो इसकी सूचना वह जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को देगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर व जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट